

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2015/TG-1/23/YTSK/Suggestions

Date: 07.04.2016

Chief Commercial Managers, All Zonal Railways.
FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

General Manager/PRS
CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 18 OF 2016)

Sub: Establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)

Ref: Instructions issued vide CC no. 33, 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014 and 21 & 59 of 2015.


The scheme of YTSK was circulated vide Commercial Circular no. 33 of 2014 & draft agreement was circulated vide Commercial Circular No. 39 of 2014. Thereafter certain modifications were made in the scheme vide instructions mentioned above.


2. Letters from Railways as well as YTSKL Association seeking clarification on service tax on service charges collected by YTSKL from passengers have been received and matter has been examined in consultation with the Accounts and Finance Directorates of Ministry of Railways and the following has been decided:-

- (i) Service tax at the rate of 14% along with a 0.5% Swachh Bharat Cess (applicable from 15.11.2015) on the service charges as mentioned in para 8 of draft agreement enclosed with Commercial Circular no. 39 of 2014 shall be collected by YTSKL from the passengers. However, this taxability shall be subject to threshold limit under Notification no. 33/2012-ST dated 20.06.2012 (As amended from time to time). Swachh Bharat Cess is not CENVATABLE against service tax on output service under CCR 2004.
- (ii) As per para 68(1) of Service Tax Act, liability to pay service tax on taxable services lies with the service provider. Hence, YTSKL himself/herself shall deposit the service tax collected from the passengers as per service tax rules.
- (iii) YTSKL shall deposit service tax on full service charges irrespective of share of concerned Zonal Railway in service charges. They shall pay service tax under the Reverse Charge Mechanism(RCM) as service recipient w.e.f. 01.04.2016 as per General Budget 2016-17.

contd... 2/-

- (iv) YTSKL shall submit a report of daily remittances deposited through RTGS/NEFT along with receipt/e-receipt of RTGS/NEFT in line with para 13.5(iii) of draft agreement enclosed with Commercial Circular no. 39 of 2014.
3. CRIS will make necessary modifications in the software and provide the facility of printing of service tax and cess on the ticket issued by YTSK.
4. This issues with the concurrence of Accounts Directorates of Ministry of Railways.
5. Necessary instructions may be issued to all concerned.


(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board


(T.D. Diwivedi)
Director Finance Accounts
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2015/टीजी-1/23/वाईटीएसके/सजेशनस

नई दिल्ली, दिनांक 07.04.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें।
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।
निदेशक(लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

महाप्रबंधक/पीआरएस
क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) की स्थापना और परिचालन करना।

संदर्भ: 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33, 35, 37, 39, 40 एवं 45 और 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 21 एवं 59 के तहत जारी अनुदेश।

2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत वाईटीएसके स्कीम को और 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के तहत इसके ड्राफ्ट एग्रीमेंट को परिपत्रित किया गया था। इसके बाद, ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के तहत इस स्कीम में अनेक संशोधन किए गए।

2. रेलों के साथ-साथ वाईटीएसकेएल एसोसिएशन से पत्र प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें यात्रियों से वाईटीएसकेएल द्वारा एकत्रित किए गए सेवा प्रभागों पर सेवा कर के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। रेल मंत्रालय के लेखा एवं वित्त निदेशालयों के परामर्श में इस मामले की जांच की गई और निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:-

- (i) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के प्रारूप के पैरा 8 में यथा उल्लिखित सेवा प्रभागों पर वाईटीएसकेएल द्वारा यात्रियों से 14% की दर से सेवा कर और 0.5% स्वच्छ भारत उपकर (15.11.2015 से लागू) वसूल किया जाएगा। बहरहाल, यह कर-देयता, दिनांक 20.06.2012 की अधिसूचना सं. 33/2012-एसटी के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अनुसार होगी(समय-समय पर संशोधित)। सीसीआर 2004 के अंतर्गत आउटपुट सेवा पर स्वच्छ भारत उपकर सेनवैटेबल नहीं है।
- (ii) सेवा-कर अधिनियम 68(1) के अनुसार कर-योग्य सेवाओं पर सेवा-कर का भुगतान करने की दायिता सेवा-प्रदाता पर है। अतः, वाईटीएसकेएल, सेवा-कर नियमों के अनुसार यात्रियों से एकत्रित किए गए सेवा-कर को स्वयं जमा कराएगा/कराएगी।

- (iii) वाईटीएसकेएल, सेवा प्रभारों में, संपूर्ण सेवा प्रभारों पर सेवा-कर जमा कराएगा चाहे, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे का शेयर कितना भी क्यों न हो। वे जनरल बजट 2016-17 के अनुसार 01.4.2016 से सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के अंतर्गत सेवा-कर का भुगतान करेंगे।
- (iv) वाईटीएसकेएल, 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं 39 के साथ संलग्न करार के प्रारूप के पैरा 13.5 (iii) की तर्ज पर आरटीजीएस/एनईएफटी की रसीद/ई-रसीद सहित आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा, प्रतिदिन भेजी गई राशि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
3. क्रिस, साफ्टवेयर में आवश्यक आशोधन करेगा और वाईटीएसके द्वारा जारी की जाने वाली टिकटों पर सेवा कर और उपकर को मुद्रित करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
4. इसे रेल मंत्रालय के लेखा निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
5. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

Sd/-

(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्यिक (जी)
रेलवे बोर्ड

Sd/-

(टी. डी. द्विवेदी)
निदेशक वित्त लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, वि का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
- 3) एम डी/आई आर सी टी सी, बी 148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली 110001.
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
- 7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ 226011.

- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.